XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
1	2	3

29

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–58/2004
धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 अन्तर्गत

मनोज कुमार मंडल, पिता–राधा कुमार मंडल, साकिन–सिधिंया, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ .....
आवेदक

बनाम्

नित्यानन्द मंडल, पिता–स्व0 डोमी मंडल, वर्तमान साकिन– सिधिंया, थाना–के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ .....
विपक्षी

आ दे श

यह वाद अंचलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–2/2003–04 में दिनांक 01.07.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 अन्तर्गत दायर किया गया। आवेदक एवं उमेश कुमार मंडल, पिता–स्व0 उतीम लाल मंडल ने प्रश्नगत जमीन खाता संख्या–218, खेसरा संख्या–1041, रकवा–13 डिसमिल के अतिरिक्त खेसरा संख्या–1040, रकवा–10 डिसमिल, कुल रकवा–23 डिसमिल जमीन रजिस्टर्ड केवाला द्वारा दिनांक 05.01.1989 को चन्द्रकिशोर मंडल, पिता–उतीम लाल मंडल से खरीद किया और आपस में बंटवारा कर शांतिपूर्ण तरीके से दखलकार होकर रहने लगे। आपसी बंटवारा में आवेदक के हिस्से में प्रश्नगत जमीन है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी मूल निवासी ग्राम–कवैया, थाना–बौसी बसेठी, जिला–अररिया का है और कालान्तर में विपक्षी अपने नाना के गाँव में आकर बस गये और मौजा–सिधिंया भक्ता, खाता संख्या–218, खेसरा संख्या–980, रकवा–87 डिसमिल जमीन अपनी पत्नी मंजू देवी के नाम से खरीदकर अपना घर बनाकर रहने लगे। प्रश्नगत जमीन विपक्षी के जमीन के पश्चिम सीमा से जुड़ा हुआ है और विपक्षी जबरदस्ती अपनी जमीन का सीमा विस्तार आवेदक के जमीन की ओर करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद विपक्षी प्रश्नगत जमीन के लिये वासगीत पर्चा अपने नाम से बनवा लिया। आवेदक ने पंचायत स्तर पर भी उक्त वाद को सुलझाने की कोशिश की। किन्तु विपक्षी द्वारा नहीं मानने पर आवेदक यह पुनरीक्षण वाद इस न्यायालय में दायर किया है। आवेदक के पास उस जमीन के अतिरिक्त और कहीं भी जमीन नहीं है, जबकि विपक्षी अपने पत्नी के नाम से जमीन खरीदकर अपने जमीन पर घर बनाकर रह रहा है। आवेदक का यह भी कथन है कि प्रश्नगत जमीन मेरे नाम से है। फिर भी पर्चा निर्गत करने से पूर्व भूस्वामी के रूप में मुझे कोई सूचना नहीं नहीं मिली। आवेदक वासगीत पर्चा को रद्द करने का अनुरोध कर रहा है।

विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत जमीन का जमाबन्दी चन्द्रकिशोर मंडल, पिता–उत्तम लाल मंडल के नाम से दर्ज था और भूस्वामी से अच्छा संबंध रहने के कारण भूस्वामी के सहमति से प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी अपना घर बनाकर सपरिवार रह रहे थे। विपक्षी का यह भी कथन है कि उनके माता–पिता लगभग 40 वर्षो से उक्त जमीन पर निवास करते आ रहे थे और वर्तमान में माता–पिता के देहान्त के बाद मैं रह रहा हूँ। वास–

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

गीत पर्चा निर्गत होने के बाद जमीन का खजाना भी वर्ष 1979 से वर्ष 2005–06 तक कटाते आ रहे है। विपक्षी का यह भी कथन है कि जब आवेदक एवं उमेश मंडल दोनों मिलकर जमीन खरीद किया तो फिर उमेश मंडल को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। अतः विपक्षी इस वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है।

अंचलाधिकारी, श्रीनगर से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है, परन्तु अंचलाधिकारी के पत्रांक 131, दिनांक 27.02.2008 द्वारा प्रतिवेदित है कि वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–2/2003–04 राजेन्द्र रजक, पिता–जीवछ लाल रजक के नाम से निर्गत है। वासगीत पर्चा पंजी के मिलान करने के बाद भी नित्यानन्द मंडल के नाम से वासगीत पर्चा नहीं बना है।

दिनांक 24.10.2008 को समाहर्त्ता द्वारा अंचलाधिकारी, श्रीनगर से प्रतिवेदन की मांग की गयी कि जब विपक्षी के नाम से वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया गया है तो अभिप्रमाणित प्रति किस प्रकार निर्गत किया गया है, जो इस न्यायालय के ज्ञापांक 1705/विधि, दिनांक 15.11.2008 के द्वारा अंचलाधिकारी, श्रीनगर को भेजा गया है।

दिनांक 01.07.2011 तथा 13.04.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि अंचलाधिकारी, श्रीनगर के द्वारा प्रतिवेदित है कि विपक्षी के नाम से वासगीत पर्चा कार्यालय से निर्गत नहीं हुआ है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में नहीं आते है, चूँकि उनके पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है। आवेदक का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के के वाद में उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया है। इस मामले में भूधारी रैयत का रिस्ता बिल्कूल ही नही है। उनके द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को फर्जी बताया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन में उनका पिता के समय से लगातार 40 वर्षो से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा इस विषय से संतुष्ट होते हुए पर्चा हेतु अनुशंसा किया गया। अंचलाधिकारी, श्रीनगर के द्वारा बाद में भेजा गया पत्र (पत्रांक 378, दिनांक 02.04.2011) में स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा किये गये स्थल जाँच में विवादित जमीन में विपक्षी का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा पाया गया। विपक्षी द्वारा पर्चा दिखाने की बात भी अंचलाधिकारी द्वारा कहा गया। परन्तु इससे संबंधित अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का जिक्र अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवादित जमीन के अलावे विपक्षी के पास और कोई जमीन नहीं है।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन पर विपक्षी का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा पूर्ण से है। विपक्षी के द्वारा वासगीत पर्चा भी दिखाया जा रहा है। परन्तु इससे संबंधित अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की बात अंचलाधिकारी द्वारा कही गयी। विपक्षी द्वारा दिखाये जा रहे वासगीत पर्चा को गलत एवं फर्जी होने का अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद से संबंधित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। साथ–साथ अंचलाधिकारी, श्रीनगर को आदेश दिया जाता है कि स्थलीय जाँच एवं विपक्षी को प्रश्रय प्राप्त रैयत के श्रेणी में होने की बात से संतुष्ट होते हुए अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नये सिरे से अभिलेख तैयार कर Duplicate पर्चा तैयार कर विधिवत विपक्षी

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख
1	2	3

को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह कार्रवाई 02 (दो) माह के अन्दर अंचलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ